नगरपालिका तावडू
सार्वजनिक सूचना

सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका तावडू ने स्थानीय स्तर पर नागरिक सेवाओं की प्रदायगी और शहरी प्रवेश के सुधार में चयनित प्रतिनिधि और स्वैच्छिक नागरिक समूह की व्यापक सहभागिता के साथ नागरिक भागीदारी सुदृढ़ करने के लिए, हरियाणा नगर नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका, तावडू के क्षेत्र के अंदर पड़ने वाले वार्ड सभा के गठन का निर्णय लिया गया है।

1. वार्ड के पार्षद की अध्यक्षता के अधीन वार्ड कमेटी/सभा का गठन किया जाएगा।

समिति के सदस्य निम्नलिखित में से हो सकते हैः–

1. पूर्व–सैनिक, सेवानिवृत शिक्षक
2. सेवानिवृत अधिकारी/आधिकारिक
3. सार्वजिनक रूप से उत्साहित व्यक्ति।
4. अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ/पेशेवर व्यक्ति।
5. आर0डब्लयू0ए0,एन0जी0ओ0 आदि।
6. पेशेवरों का संघ/निकाय।

व्यक्ति या गैर–सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) जिनके पास कुछ विशेषज्ञता है, उसे उल्लिखित करें ताकि उन्हे उस क्षेत्र की विशेषज्ञ समिति में लिया जा सके जो नीति निरूपण में तथा उनके संबधित क्षेत्र में कार्यान्वयन में नगरपालिका तावडू की मदद करेगी। समाज के विभिन्न वर्गो जैसे महिलाओ, अनु. जाति, पिछड़े तबको आदि को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वार्ड कमेटी के कार्यो एवं दायित्व नगरपालिका तावडू की वैबसाईट https://ulbharyana.gov.in/Tauru/847 पर सभी जनसाधारण के लिए अपलोड कर दी गई है।

अतः आप सभी जनसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि आर0डब्ल्यू0ए0/एन0जी0ओ0/एसोसिएट वार्डो/कोई अन्य संस्था अपना पूरे विवरण पते के साथ दिनांक 02.02.2026 तक नगरपालिका तावडू की ई–मेल Secy-tauru@ulbharyana.gov.in पर भेजें/वार्ड नं0/वार्ड कमेटी नं0 जिसमें व्यक्ति एसोसिएट होने का इच्छुक है को वर्णित करना होगा ताकि उन्हें नगरपालिका तावडू के विशेष वार्ड कमेटी में एसोसिएट किया जाए। अपने वार्ड के मामले में आवासीय भागीदारी काफी समय तक चलेगी और यह संतोषप्रद भी रहेगा।

सचिव,
नगरपालिका तावडू।

Scanned with OKEN Scanner